न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–167/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00150)

1. हनुमान सिंह पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कूलरियों की ढाणी, पटवार हल्का बुडानियॉ, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. रतन सिंह पुत्र रूड़ा जाति जाट, निवासी बुडानियॉ, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चिड़ावा जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 03.05.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111 एवं 128 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 एवं 128 में पत्थरगढी हेतु सुस्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख किया हुआ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उचित प्रक्रिया नही अपनाई गई है इसके जिसके करण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 एवं 128 के वर्णित प्रावधानों क अनुसार न्यायालय के समक्ष भूमि के वास्तविक एवं भौतिक कब्जे के सम्बन्ध में विवाद नही होने पर ही पत्थरगढी के आदेश पारित किये जाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य एवं कब्जे की संतुष्टि किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के नैसर्गिक

पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिये जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को उचित सुनवाई के अवसर दिये जाने चाहिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये ही सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के विधि विरूद्ध आदेश पारित कर निस्तारण कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विलम्ब का कारण अपीलार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी नही थी तथा अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी दिनांक 01.05.2018 को हुयी जब पटवारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खसरों पर पत्थरगढी की कार्यवाही कर रहे थे जिस पर अपीलान्ट ने बिना उसको जानकारी व सूचना के पत्थरगढी की कार्यवाही ही आपत्ति व्यक्त की एंव शीघ्र ही दिनांक 03.05.18 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा झुन्झुनू में प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की, जिससे अपीलान्ट को समस्त प्रकरण का ज्ञान हुआ तथा दिनांक 03.05.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा झुन्झुनू में प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को समस्त प्रकरण का ज्ञान होते ही अपीलान्ट ने बिना किसी विलम्ब के अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आवेदक व अन्य पड़ौसी खातेदारों को कोई भी नोटिस जारी किये जाने के बाद जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2017 को अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व अन्य पड़ौसी खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 एवं पत्र क्रमांक रीडर/17/382 दिनांक 03.05.2017 अपास्त फरमाया जाकर अपीलर्थी को सुनवाई व जवाब का उचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पुनः नम्बर पर लिया जाकर नये सिरे से निरस्तारित करने हेतु निर्देश/आदेश फरमाये जाने के आदेश सादिर प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि राजस्व ग्राम बुड़ानिया तहसील चिडावा की सरहद में कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 85 रकबा 2.03 हैक्टयर हाल खसरा नम्बर 447 रकबा 1.25 हैक्टयर, हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 1.36 हैक्टयर व हाल

काबिज व मालिक चला आ रहा है व काश्त करता आ रहा है जिसका पटवारी हल्का से विधिक रूप से दिनांक 08.11.2016 को नपती करवाकर सीमाज्ञान प्राप्त कर लिये जिसके आधार रेस्पोडेन्ट अपनी हक अधिकार की आराजी पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होने की वजह से पत्थगरढी बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ दिलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 02.05.2017 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थगरढी पेश किया गया है तथा दिनांक 02.05.2017 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश के साथ–साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश भी दिये गये है जबकि पत्रावली में ना तो अप्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी किये गये है और ना ही तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट तलब की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 एवं उक्त आदेश की पालना में जारी पत्रांक रीडर/17/382 दिनांक 03.05.2017 उचित प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 एवं पत्रांक रीडर/17/382 दिनांक 03.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।